

FORM NO. III

17
11/11/22 फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला-अलवर

शबिकुमार

बनाम

अमृतलाल

किस्म मुकदमा

नं०

सन्


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01/01/22	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील वापी उपोपत्रावली पर प्रतिवादी को और रैशनी जागीश चक्र वतीला A.C के पास उफो आप पद्यावली वास्ते पत्रावली पेश की।	
	उप खण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)	
07/01/22	बादों के वकील/वकुल उपस्थित/पीठासीन अधिकारों को कोर्ट में पेश किया गया। पेश किया गया कि... 07/01/22	
08/01/22	बादों के वकील/वकुल उपस्थित/पीठासीन अधिकारों को कोर्ट में पेश किया गया। पेश किया गया कि... 08/01/22	
12/08/22	बादों के वकील/वकुल उपस्थित/पीठासीन अधिकारों को कोर्ट में पेश किया गया। पेश किया गया कि... 12/08/22	
11/11/22	बादों के वकील/वकुल उपस्थित/पीठासीन अधिकारों को कोर्ट में पेश किया गया। पेश किया गया कि... 11/11/22	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

18.1.24

पत्रावली हस्तगत हुई। वकील वाही उपस्थित नहीं।
वकील व उनके वादीगण को बार-बार भावाज
लगायी गई। इसके बावजूद साथ 5100 रुपये तक
इंतजार किया तथा पुन भावाज लगायी गई।
कोई उपस्थित नहीं आया। अतः सवा वकील
व उनके वादी की अंतिम हाजिरी - अंतिम फीस
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल नुमा
होकर नम्बर से कम हो। बाहू तामिल तकनील
दाखिल दफ्तर हो।


जज (अलवर) राज